**संख्याः-12/2021/पी-222/अडतीस-9-2021-06(बजट)/2018टी0सी0-1**

**प्रेषक,**

**अवधेश कुमार तिवारी,**
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में**ए

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक-12 अप्रैल 2021**

**विषयः**-वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुरक्षण मद हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3303/एफ-बजट/यूपीआरआरडीए/2021-22 दिनांक-03.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) निर्मित सम्पर्क मार्ग का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021 /बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक-22.03.2021 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

**-2/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत् सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक-22.03.2021 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

**भवदीय**

**अवधेश कुमार तिवारी**
विशेष सचिव।

**संख्याः-12/2021/पी-222(1)/अड़तीस-9-2021, तददिनॉक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीयए उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थलीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्तए ग्राम्य विकासए उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

**आज्ञा से**

**अवधेश कुमार तिवारी**
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।